



2026:AHC-LKO:20232-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 2398 सन 2026

सुषमा एवं अन्य

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह लखनऊ एवं अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	कुलदीप सिंह
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता, अरुण कुमार तिवारी

न्यायालय संख्या - 11

माननीय न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती बबीता रानी

1. आज न्यायालय में दाखिल किया गया पूरक शपथ-पत्र अभिलेख में रखा जाए।
2. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता को, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को और कैविएटर की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ए.के. तिवारी को सुना गया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. दिनांक 23.02.2026 को दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट को चुनौती दी गई है, जो मुकदमा अपराध संख्या 0034 / 2026 के रूप में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 85, 80(2), 115(2), 351(3) और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत मोतीगंज पुलिस स्टेशन, जिला गोंडा में दर्ज की गई है।
4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी संख्या 4 की पुत्री, जिसका विवाह 13.05.2025 को हुआ था, की मृत्यु 22.02.2026 को हुई थी। मृतक की मृत्यु उसके ससुराल वालों और उसके पति द्वारा किए गए उत्पीड़न के कारण हुई बताई जा रही है।
5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए उपरोक्त आरोप स्पष्ट रूप से झूठे हैं।
6. याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 मृतक की सास है जबकि याचिकाकर्ता संख्या 2 उसका देवर है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि पीड़ित द्वारा कोई उत्पीड़न नहीं किया गया है, बल्कि उसकी मृत्यु स्वाभाविक रूप से हुई है। मृतक के शरीर पर एक चोट के अलावा कोई अन्य चोट नहीं पाई गई है। याचिकाकर्ता संख्या 1 कैंसर रोगी है और वृद्धावस्था से पीड़ित है।
7. याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई अन्य आधार नहीं लिया गया है।
8. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए उपरोक्त आधार स्पष्ट रूप से भ्रामक और गलत हैं। इसका कारण यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मुस्कान बनाम ईशान खान (सतानिया) और अन्य; 2025 आई.एन.एस.सी. 1287** के मामले में यह माना है कि न्यायालयों से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को सत्यापित करने के लिए लघु परीक्षण करें।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

9. सुविधा के लिए, **मुस्कान (उपरोक्त)** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की प्रासंगिक टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैं:-

"हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय ने शिकायतों और प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता की जाँच करके विधिगत त्रुटि की है। सामान्यतः, प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने के लिए यह सिद्ध होना आवश्यक है कि अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है। वर्तमान मामले में, शिकायतों और प्रथम सूचना रिपोर्ट को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट है कि उत्पीड़न और दहेज की माँग के प्रथम दृष्टया आरोप सिद्ध होते हैं, इसके बावजूद उच्च न्यायालय ने निजी प्रतिवादियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट को मुख्यतः इस आधार पर रद्द कर दिया कि अपीलकर्ता द्वारा पहले दर्ज की गई दो शिकायतों में 22.07.2021 और 27.11.2022 को घटी घटनाओं का उल्लेख नहीं था और बाद में प्रथम सूचना रिपोर्ट में इनका उल्लेख केवल विचारणीय रूप से किया गया था। यह प्रतिवादी संख्या 1 / पति द्वारा अपीलकर्ता को भेजे गए कानूनी नोटिस का प्रतिवाद था क्योंकि वह अपने वैवाहिक घर नहीं लौट रही थी। हमारी राय में, उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया यह दृष्टिकोण एक लघु मुकदमे के समान है।"

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सोमजीत मल्लिक बनाम झारखंड राज्य और अन्य; 2024 आई.एन.एस.सी. 772** के मामले में निम्नलिखित निर्णय दिया है:

18. यह सर्वविदित कानून है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट सभी आरोपों का संकलन नहीं है। इसलिए, यह जांचने के लिए कि क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने का संकेत देती है, आरोपों में किसी चूक को नहीं, बल्कि उसमें निहित आरोपों के सार को देखना आवश्यक है ताकि यह पता लगाया जा सके कि प्रथम दृष्टया कोई संज्ञेय अपराध हुआ है या नहीं। इस स्तर पर, न्यायालय को यह निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा विशिष्ट अपराध हुआ है। जांच के बाद, आरोप तय करते समय, जब जांच के दौरान एकत्रित सामग्री न्यायालय के समक्ष होती है, तभी न्यायालय को यह राय बनानी होती है कि आरोपी पर किस अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इससे पहले, यदि न्यायालय संतुष्ट हो, तो वह आरोपी को बरी भी कर सकता है। इस प्रकार, जब प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी के बेईमान आचरण का आरोप लगाया जाता है, जो यदि सामग्री

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

द्वारा समर्थित हो, तो संज्ञेय अपराध के घटित होने का संकेत देता है, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करके जांच को बाधित नहीं किया जाना चाहिए।

11. **सोमजीत मल्लिक (उपरोक्त)** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जब प्रथम सूचना रिपोर्ट में संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, तो यह देखना आवश्यक है कि उसमें निहित आरोपों का सार क्या है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध हुआ है या नहीं। इस स्तर पर, न्यायालय को यह निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा विशिष्ट अपराध हुआ है। अतः, जब प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी द्वारा संज्ञेय अपराध का आरोप लगाया गया हो, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करके जांच को बाधित नहीं किया जाना चाहिए।

12. इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **संजय कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य; 2025 लाइव लॉ (एससी) 1170** के मामले में यह माना है कि जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से संज्ञेय अपराध सिद्ध होता है, वहां उच्च न्यायालयों से हस्तक्षेप की अपेक्षा नहीं की जाती है।

13. सुविधा के लिए, **संजय कुमार गुप्ता (उपरोक्त)** मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां नीचे दी गई हैं (प्रस्तर 6 और 7) :-

“6. उच्च न्यायालय ने प्रथम सूचना रिपोर्ट रद्द करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और फिर भी आरोपी व्यक्तियों, अर्थात् इस मामले में निजी प्रतिवादियों को, आरोप-पत्र दाखिल होने तक गिरफ्तारी से पूर्ण सुरक्षा प्रदान कर दी, जिससे हमारी राय में मामले की जांच को गंभीर नुकसान पहुंचा है। ऐसे निर्देश के पीछे न तो कोई तर्क है और न ही कोई औचित्य।

7. यह नकारा नहीं जा सकता कि उत्तर प्रदेश राज्य में गिरफ्तारी पूर्व जमानत के प्रावधान लागू हैं। इसलिए, किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को यदि ऐसी सुरक्षा प्राप्त करने की इच्छा हो, तो उसे सबसे पहले सक्षम सत्र न्यायालय में जाकर उचित उपाय का लाभ उठाना होगा। आपराधिक रिट याचिका में गिरफ्तारी पूर्व जमानत की राहत प्रदान करना जबकि कार्यवाही रद्द करने के अधिकार

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार करना पूरी तरह से अस्वीकार्य और अनुचित है, जैसा कि इस न्यायालय ने निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर (पी) लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य; (2021) 19 एससीसी 401 के मामले में कहा है:-

“22. जैसा कि इस न्यायालय ने हेमा मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [हेमा मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2014) 4 एससीसी 453 : (2014) 2 एससीसी (क्रिमिनल) 363] में कहा है, यद्यपि उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत बहुत व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग न्याय के उल्लंघन को रोकने और अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से आरोपी व्यक्तियों की पूर्व-गिरफ्तारी करने से कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया जाना चाहिए। आगे यह भी देखा गया है कि अनुच्छेद 226 के तहत ऐसी याचिका पर विचार करते समय, उच्च न्यायालय को दो हितों के बीच संतुलन बनाए रखना होता है। एक ओर, न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होता है कि अनुच्छेद 226 के तहत ऐसी शक्ति का उदारतापूर्वक प्रयोग न किया जाए जिससे वह धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही में परिवर्तित हो जाए। इसके अलावा, दूसरी ओर, यह भी देखा गया है कि जब भी उच्च न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि किसी विशेष मामले में यदि पूर्व-गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है, तो यह घोर अन्याय होगा और मुकदमे की सुनवाई लंबित रहने के दौरान गिरफ्तारी का कोई मामला बनता ही नहीं है, तो उच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अग्रिम जमानत के रूप में राहत प्रदान करने के लिए स्वतंत्र होगा, यह ध्यान में रखते हुए कि इस शक्ति का प्रयोग केवल उन्हीं मामलों में किया जाना चाहिए जहां यह बिल्कुल आवश्यक और न्यायसंगत हो। हालांकि, गिरफ्तारी न करने या "कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने" का ऐसा व्यापक अंतरिम आदेश यांत्रिक रूप से और नियमित तरीके से पारित नहीं किया जा सकता।

23. धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता और / या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए और यह राय देते हुए कि प्रथम सूचना रिपोर्ट / शिकायत को रद्द करने का कोई मामला नहीं बनता है, अंतिम रिपोर्ट / आरोप-पत्र दाखिल होने तक और / या जांच के दौरान गिरफ्तारी न करने और / या "कोई दंडात्मक कदम न उठाने" का आदेश पारित करना और / या जांच पूरी होने तक गिरफ्तारी न करने का आदेश देना पूर्णतः अस्वीकार्य है।”

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

14. तदनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **संजय कुमार गुप्ता (उपरोक्त)**, **सोमजीत मल्लिक (उपरोक्त)** और **मुस्कान (उपरोक्त)** के मामलों में दिए गए निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, और अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट की सामग्री पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध संज्ञेय अपराध बनता है और आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए आधारों पर विचार करना एक लघु परीक्षण के समान होगा।
15. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका **खारिज** की जाती है।

मार्च 19, 2026

पछेरे/-

[न्यायमूर्ति श्रीमती बबीता रानी] [न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन]

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।